फा. स.44012 /01 /2019 ई-।
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2019

आदेश

विषय - नई दिल्ली निवासी श्री पारस नाथ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर दिनांक 6-7-2019 की ऑनलाईन अपील के संबंध में ।

कृपया दिनांक 11-06-2019 के आर. टी. आई. आवेदन (रजिस्ट्रेशन सं. डी.ओ.एच.ई.डी./आर /2019/51376 दिनांक 11-06-2019) के संबंध में की गई आर. टी. आई अपील (रजिस्ट्रेशन सं. डी.ओ.एच.ई.डी. /ए/2019/60179) का अवलोकन करें जिसमें कहा गया है कि सी पी आई ओ द्वारा 28.06.2019 के पत्र द्वारा दिए गए उत्तर में आपके द्वारा मांगी गई सूचना नहीं दी गई है ।

2. यह नोट किया जाए कि आपने उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों और स्टाफ की बायोमैट्रिक उपस्थिति के बारे में सूचना मांगी थी । सी पी आई ओ ने अपने 28.06.2019 के पत्र के तहत यह उत्तर दिया था कि मांगी गई सूचना अनुभाग में दस्तावेजी रूप में उपलब्ध नहीं है और आवेदक को आधार समर्थित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली में ऑनलाईन रिकार्ड की गई अपेक्षित सूचना का निरीक्षण करने का आग्रह किया था । सूचना का ऑनलाईन निरीक्षण का प्रस्ताव मांगी गई सूचना तक पहुच दिए जाने से संबंधित था ना कि किसी भी तरीके से सूचना से इंकार करना । इसके अलावा, सैकड़ों की संख्या में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति की मुद्रित प्रतियां उपलब्ध करवाना मानव संसाधनों का उनके नियिमत ओर नेमी कार्यो से असंगत विचलन होता, इस मामले में अधिनियम के 7 (9) के तहत व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था ।

3. अपितु, सूचना का ऑनलाईन निरीक्षण संबंधी प्रस्ताव सूचना दिए जाने की अपेक्षा को सही पूरा करता है. जैसा कि इंगित किया गया है अधिकारियों और स्टाफ के संबंध में सूचना उस ढंग से दी जा सकती है और इसमें अनुभाग के नियमित कार्यो के समय से अलग कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता ।

4. इस प्रकार 6-7-2019 की अपील का निपटान किया जाता है ।

5. यदि आवेदक संतुष्ट नहीं है तो वह केन्द्रीय सूचना आयोग, सी आईसी भवन बाबा गंगनाथ मार्ग पुराना जे. एन. यू. परिसर, मुनिरका, नई दिल्ली 110067 को दूसरी अपील कर सकता है

(सैयद इकराम रिज़वी)
निदेशक (प्रशासन) एवं अपीलीय प्राधिकारी

सेवा में

श्री पारस नाथ
मं. नं. जे-110/4 सौरभ विहार जैतपुर बदरपुर,
नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ- सी. पी. आई. ओ. एवं अवर सचिव प्रशासन